सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में से अनुदान वितरण

सार्वभौमिक सेवा समर्थन नीति को लागू करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सार्वभौमिक सेवा दायित्व की पूर्ति पर होने वाली शुद्ध लागत के लिए वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जन सुविधाओं के साथ-साथ घरेलू टेलीफोन प्रदान करना भी शामिल है। सार्वभौमिक सेवा प्रदान का चयन बोली की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। चयनित बोलीदाता उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत दावों की छानबीन के पश्चात सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में से सहायता लेने के लिए पात्र होते हैं।मुख्य लेखा नियन्त्रक इन दावों का सत्यापन तथा भुगतान जारी करने के लिए उतरदायी हैं। वे दावों की सहायता तथा उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण तथा जाँच करने के लिए भी उतरदायी हैं।

संयुक्त नियन्त्रक संचार लेखा हरियाणा में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के सम्पर्क अधिकारी हैं-

संयुक्त नियन्त्रक संचार लेखा श्री ए.सी.गुप्ता कार्यालय संयुक्त नियन्त्रक संचार लेखा हरियाणा

107, दी माल, अम्बाला छावनी

फोनः 2600826, 2688826 फेक्सः2603435

इस संबध में अन्य जानकारी के लिए कृप्या उपर्युक्त अधिकारी से बात करें।

सार्वभौमिक सेवा के विषय में अधिक जानकारी के लिए कृप्या साईट www.dotindia.com देखें।

1. सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबधित

सार्वभौमिक सेवा समर्पित नीती दिनांक 1.4.2002 से चालू हुई भारतीय तार (संशोधित) अधिनियम 2003 जिससे युनिवर्सल सर्विस आबलिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) को स्थायी स्टेट्स मिला। इसे दिसम्बर 2003 में संसद के दोनो सदनो द्वारा पारित किया गया था। 1 अप्रेल, 2002 से इसे प्रभावी मानकर, इस फंड को विशेष रुप से युनिवर्सल सर्विस आबलिगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और वित्त वर्ष के अन्त में शेष फंड में जमा का अतिक्रमण नहीं होता । इस निधि में बिना संसदीय स्वीकृति के और राशि जमा नहीं की जा सकती। इस निधि के सदपयोग के लिए दिनांक 26.03.2004 को नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संचालन सार्वभौमिक सेवा निधि, प्रशासनिक प्रधान द्वारा किया जाता हैं। प्रशासनिक प्रधान को सार्वभौमिक सेवा दायित्व को लागू करने की प्रक्रिया को निर्मित करने एवं सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को वितरित करने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं। उनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौधोगिक मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रुप में कार्य करता हैं।

सार्वभौमिक सेवा कर वर्तमान में शुद्ध वेल्यू एडिड सेवा प्रदात्ताओं जैसे कि इन्टरनेट, ध्वनि मेंल, इलैक्ट्रानिक मेंल सेवा प्रदात्ताओं के समायोजित कुल राजस्व का 5% है। नियमानुसार निम्नलिखित गतिनिधियाँ यू.एस.ओ.एफ द्वारा समर्पित हैं।
जो इस प्रकार हैं-

सार्वजनिक दूरसंचार तथा सूचना सेवाओं का प्रावधानः

स्ट्रीम 1

क) 1991 की जनगणना के अनुसार दर्ज गावों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी) का संचालन तथा रख-रखाव तथा 2001 की जनगणना के अनुसार दर्ज अतिक्रमण राजस्व गांवो में वी.पी.टी स्थापित करना।

ख) प्रत्येक गांव में एक वी.पी. टी. प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवो में अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन (आर. सी. पी.) प्रदान करना।

ग) दिनांक 1.04.2002 से पहले एम.ए.आर.आर के आधार पर लगाए गए वी.पी.टी बदलना।

घ) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवो में फेक्स, ई-मेल इन्टरनेट के साथ-साथ ध्वनि टेलीफोन सहित डाटा एपलीकेशन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन को दूरसंचार तथा सूचना केन्द्र में उन्नत करना।

ङ) ब्लाक मुख्यालयों तथा 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवो में टेली-शिक्षा तथा टेली सेवाओं सहित अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उच्च स्पीड पी.टी आई.सी की स्थापना।

नोटः स्ट्रीम 1 के मदद (क) से लेकर (ड) तक वर्णित गतिनिधियों के लिए कुल लागत तक पहुँचने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एस.डी.सी.ए को एक यूनिट माना जाएगा।

स्ट्रीम ।। - ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन प्रदान करना

1 अप्रेल, 2002 से पहले लगाए गए घरेलू डी.ई.एल के मामलों में ग्रामीण उपभोगताओ से वास्तविक किराये और भारत में ट्राई द्वारा निर्धारित किराये के अन्तर की राशि उन्हें उस समय तक वापस की जाएगी जब तक समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्धारित एक्सेस डेफिसिट प्रभार इस अन्तर को मानेगा।

01 अप्रैल 2002 के बाद लगाए गए घरेलू डी.ई. एल कनेक्शन में वास्तविक शुद्ध लागत के निर्धारण में पूंजी वसूली प्रचालन व्यय और राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा।

नोटः जब तक केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न किया जाए , स्ट्रीम ।। की मदद् (ब) में विनिर्दिष्ट कार्यों की कुल लागत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एल.डी.सी.ए. को एक एकक के रूप में गिना जाएगा।

सार्वभौमिक सेवा के विषय में अधिकारी जानकारी के लिए कृप्या साईट www.dotindia.com देखें।

2. संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय का कार्य

सार्वभौमिक सेवा समर्थन नीति के क्रियान्वयन में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त वित्तीय समर्थन सम्मिलित हैं जिससे विनिर्दिष्ट सार्वभौमिक सेवा दायित्व प्रदान करने की वास्तविक लागत को प्राप्त किया जा सके। इसमें जनमानस तक पहुँच एवं ग्रामीण व सुदूर क्षेत्र में घरेलू दूरभाष दोनों प्रावधान शामिल हैं। सार्वभौमिक सेवा प्रदाता का चुनाव बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता हैं। सफल बोलीकर्त्ता उसके द्वारा जमा कराए

गये विस्तृत दावों की छानबीन के बाद सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त समर्थन का हकदार हैं।

नियंत्रक संचार लेखा उत्तरदायी हैं-

1. दावों के सत्यापन व भुगतान की अदायगी के लिए
2. दावों की सत्यता निर्धारित करने के लिए निरीक्षण एवं जांच
3. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से संबधित सभी लेनदेन का उचित लेखाकरण
4. नियन्त्रक संचार लेखा कार्यालय, सार्वभौमिक सेवा निधि प्रशासक को महानिदेशालय द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सेवा प्रदाता से प्राप्त दावों, दावों का समायोजन, फंड की मांग, अनुदान के वितरण तथा जाँच स्तर से संबधित रिपोर्ट एवं रिटर्न प्रस्तुत करता हैं।

3. संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय को स्थानांतरित किए गए कार्य

यु.एस.एफ से सम्बधित कार्य 31.12.03 को समाप्त तिमाही के दावों से संयुक्त नियंत्रक कार्यालयों में शुरू किए गए। प्रारम्भ पत्र क्रमांक 30-15/2002- यु.एस एफ(3) दिनांक 5.2.04 द्वारा अ) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण (बी) एम ए आर आर ग्रामीण दूरभाष नम्बरों का पुर्नस्थापन (वी पी टी जो 01.07.03 से पुर्नस्थापित किए गए) संयुक्त नियंत्रक कार्यालय को स्थानांतरित किए गए थे, के लिए अनुदान वितरित किए गए। इसमें दावों में प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच का कार्य भी सम्मिलित हैं। तत्पशचात अनुदान प्रदान से संबधित कार्य जो कि, (सी) एम ए आर आर ग्रामीण दूरभाष का पुर्नस्थापन जो 1.04.02 और 30.06.03 के दौरान लगाए गए, (डी) ग्रामीण सामुदायिक दूरभाषो का प्रावधान (ई) ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन संयुक्त नियंत्रक कार्यालय को दिए गए।

4. हरियाणा में अनुदान सहायता

हरियाणा में, इस समय संयुक्त नियंत्रक के निम्न कार्यालय, जो नीचे दिए गए विभिन्न अनुबन्धों के अधीन से अनुदान प्रदान कर रहें हैं, जो इस प्रकार हैं-

क्र.सं	यू.एस.पी का नाम	अनुबधं संख्या एवं दिनांक	विषय-जिसके लिए अनुदान वितरण किया जाता हैं।	सम्बधित एस.एस.ए व एस.डी.सी.ए
1	बी.एस.एन.एल	न.30-101/2002-USF दिनांक 28.03.03	पहले से स्थापित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के क्रियान्वन एवं अनुरक्षण	सभी

2	बी.एस.एन.एल	न.30-107/2002-USF दिनांक 25.09.03	दिनांक 01.07.03 के पश्चात पुनः स्थापित किए गए एम.ए.आर. आर ग्रामीण दूरभाष नम्बर।	सभी
3	बी.एस.एन.एल	न.30-107/2002-USF दिनांक 19.03.04	एम ए आर आर ग्रामीण दूरभाष नम्बरों का पुर्नस्थापन, (वी पी टी जो 01.04.02 एवं 30.06.03 के दौरान लगाए गए।)	सभी
4	बी.एस.एन.एल	न.30-133/2004-USF दिनांक 30.09.04	ग्रामीण सामुदायिक दूरभाष नम्बरों का प्रावधान जिन गांवो की जनसंख्या 2000 से ज्यादा हैं।(1991 की जनगणना के अनुसार)	एस एस ए द्वारा लगाए जाने वाले आर सी पी की संख्या रोहतक-145
5	रिलायंस ईनफोकोम	न.30-133/2004-USF दिनांक 30.09.04	ऐसे गाँवों में ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन न. का प्रावधान जिनमें जनसंख्या 2000 से अधिक हैं। (1991 की जनगणना के अनुसार)	एस एस ए में लगाए जाने वाले ग्रामीण टेलीफोन नम्बरों की संख्या अम्बाला-20 गुडगाँव-141 हिसार-243 करनाल-96 रेवाडी-33 सोनीपत-64 जींद-29 कुल - 626
6	बी.एस.एन.एल	न.30-145/2004-USF दिनांक 3.5.05	उन एस.डी.सी.ए ग्रामीण घरेलू दूरभाषों का प्रावधान जो (01.04.02 से 31.03.05 के दौरान स्थापित किए गए)	अम्बाला-कालका , बराडा गुडगाँव- फिरोजपुर, पलवल हिसार- आदमपुर मंडी जींद-जुलाना नारनौल- बावल, कोसली, जटूसाना रोहतक- बवानीखेडा, महम, तोशाम, झज्जर,लोहारु,सीवनी
7	टाटा टेलीसर्विस	न.30-140/2004-USF दिनांक 24.03.05	उन एस.डी.सी.ए ग्रामीण घरेलू दूरभाषों का प्रावधान जो (01.04.05 से 31.03.07 के दौरान लगाए गए)	गुडगाँव-फिरोजेपुर, पलवल हिसार- आदमपुर मंडी नारनौल- बावल, कोसली, जटूसाना रोहतक- बवानीखेडा, महम, तोशाम, झज्जर,लोहारु,सीवनी

8	रील	न.30-145/2004-USF दिनांक 26.08.05	उन विशिष्ट एस.डी.सी.ए में ग्रामीण घरेलू दूरभाष न. के प्रावधान के लिए करार जो (01.04.02 से 31.03.05 के दौरान लगाए गए)	गुडगाँव-फिरोजेपुर, पलवल हिसार- आदमपुर मंडी नारनौल- बावल, कोसली, जटूसाना रोहतक- बवानीखेडा, महम, तोशाम, झज्जर,लोहारु,सीवनी
9	रील	न.30-145/2004-USF दिनांक 17.03.05	उन विशिष्ट एस.डी.सी.ए में ग्रामीण घरेलू दूरभाष न. का प्रावधान जो (01.04.03 से 31.03.07 के दौरान लगाए गए)	अम्बाला – कालका, बराडा, जींद- जुलाना

5. अनुबन्ध की प्रमुख विशेषताएँ

ए. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण

(आप्रेशन एंड मेंन्टेनस आफ वी.पी.टी)

- यह अनुबन्ध सात साल की अवधी तक मान्य हैं।
- एस.एस.ए क्रमानुसार विनिर्दिष्ट तकनीक प्रतिनिधि दर जिसके लिए अनुदान दिया जाना हैं, इस अनुबन्ध का हिस्सा हैं।
- वायर लेस तकनीक के लिए, जहाँ कोई प्रतिनिधि दर नियत नहीं की गई, वहाँ डब्लयू.एल.एल दर लागू होगी, नहीं तो विशेष रुप के लागू करें।
- नियत वायरलेस टर्मिनलज के प्रयोगदाताओं को किसी भी वायरलेस तकनीक पर वी.पी.टी दिया जाएगा।
- इस अवधी के तीसरे वर्ष में प्रतिनिधि दर के साथ-साथ एस.टी.डी सुविधा देने पर होने वाली राजस्व वृद्धि पर पुर्नविचार किया जाएगा।संशोधित दरें 4 वर्ष से आगामी अवधि तक लागू रहेंगी (पूर्वसम्मत)
- अनुदान का वितरण तिमाही आधार पर किया जाएगा।
- प्रत्येक तिमाही की समाप्ती के 30 दिन के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत कर दिया जाए (15 दिन पहले से संशोधित)
- एक वित वर्ष के अन्तर्गत देय अनुदान की 10% राशि यदि अधिक ले ली गई तो अधिक प्रदान की गई राशि ब्याज सहित वितरण की तिथि से स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्राथमिक ऋण दर के अनुसार वसूल कर ली जाएगी।
- एक तिमाही में 7 दिन से अधिक दिन तक टेलीफोन दोषयुक्त रहने की दशा में अनुदान में से यथानुपात अनुदान की राशि की कटोती कर ली जाएगी । ऐसे मामलो में जब कोई वी.पी.टी 45 दिन से अधिक या तिमाही में अधिकतर समय खराब रहा हो तो उस पूरी तिमाही के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

- 30-09-2004 को समाप्त होने वाली तिमाही से जो वी.पी.टी भुगतान न होने के कारण काट दिए गए हैं तथा जिन वी.पी.टी में पूरी तिमाही के दौरान मीटर रीडिंग में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की जाती तो पत्र क्रमांक 30-101/2002 दिनांक 14-09-04 के अनुसार वे उस तिमाही के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के योग्य नहीं होंगे।
- एम ए आर वी.पी.टी पुर्नस्थापन के पश्चात इस करार के अंतगत आर्थिक अनुदान के योग्य नहीं माने जाएगें।
- सार्वभौमिक सेवा प्रदान उसी गांव में लोगों तक वी.पी.टी की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए वी.पी.टी का स्थान परिवर्तन में आने वाले खर्चे के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- निष्पादित बैंक गारंटी करार के अंतर्गत आने वाले सेवा क्षेत्रों के सभी वी.पी.टी को प्रदान किए जाने वाले एक तिमाही के आर्थिक अनुदान के समान होगी। भा. सं. नि. लि. को निष्पादित बैंक गारंटी जमा न कराने की छूट दे दी गई हैं, क्योंकि यह 100% सरकार शासित निगम है। वर्तमान में निष्पादित बैंक गारंटी यु.एस.एफ मुख्यालय में रखी जा रही है।
- जम्मू व कशमीर सेवा क्षेत्र के लिए करार का नवीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा।

बी. एम ए आर आर ग्रामीण दूरभाषों का पुर्नस्थापन

- ग्रामीण दूरभाषों के लिए आर्थिक अनुदान पुर्नस्थापन की तिथि से सात वर्ष या करार की समाप्ती की तिथि तक जो भी पहले हो दी जाएगी।
- सेवा क्षेत्र में एम ए आर आर वीपीटी का 50% विर्निदिष्ट रोल आउट दायित्व करार की प्रभावी तिथि से एक वर्ष के भीतर पुर्नस्थापित किए जाएंगे और शेष करार की तिथि से दो वर्ष के भीतर बदले जाएंगे। पत्र क्रमांक 30-107-2002 यू एस एफ दिनांक 21/10/2004 के अनुसार यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।
- रोल आउट दायित्व के निर्वाह न होने की स्थिती में निर्धारित हानिपूर्ती का प्रावधान प्रत्येक कैलेडंर मास या इसके कुछ भाग की देरी के लिए, निर्धारित हानिपूर्ती ऐसे ग्रामीण दूरभाषों के लिए देय वार्षिक आर्थिक सहायता का 10% होगा, परन्तु देय वार्षिक आर्थिक अनुदान 20% से अधिक नहीं होगा।
- एस एस ए अनुसार तकनीकी अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि दर तीसरे वर्ष में प्रतिनिधि दर के साथ साथ एस.टी.डी सुविधा प्रदान करने के फलस्वरुप

राजस्व में वृद्धि की समीक्षा । संशोधित दरें चोथे वर्ष से लागू होंगी । समीक्षा पहले ही की जा चुकी हैं। आर्थिक अनुदान का भुगतान त्रेमासिक आधार पर किया जाएगा।

- तिमाही समाप्त होने के 30 दिन के भीतर दावे प्रस्तुत करने होंगे।
- एक तिमाही में सात से अधिक दिन तक टेलीफोन खराब रहने की स्थिती में आर्थिक अनुदान में यथानुपात कटौती । यदि वी.पी.टी ग्रामीण दूरभाष एक तिमाही में 45 से अधिक दिन तक खराब रहता हैं तो पूरी तिमाही के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

- जो ग्रामीण दूरभाष 30.09.04 को समाप्त तिमाही से भुगतान न किए जाने के कारण बन्द पडे हैं तथा जिन ग्रामीण दूरभाषों पर पूरी तिमाही के दौरान मीटर रीडिंग में कोई भी वृद्धि नहीं होती, वे उस तिमाही के लिए अनुदान के योग्य नहीं माने जायेंगे।

- क्योंकि केवल भा.सं.नि.लि. सफल बोलीकर्ता के रूप में सामने आया हैं अतः कोई भी निष्पादित बैंक प्रतिभूति प्रत्यारोपित नहीं की गई हैं। भा.सं.नि.लि. को निष्पादित बैंक प्रतिभूति जमा न कराने की छूट दी गई हैं क्योंकी यह 100% सरकार शासित हैं।

सी. ग्रामीण सामुदायिक दूरभाषों का प्रावधान

- करार प्रभावी तिथि से 8 वर्ष की अवधि तक वैध हैं। वी.पीटी, आर सी पी लगाने व चालू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक आर्थिक अनुदान बढ़ाया जाएगा ।
- सार्वभौमिक सेवा प्रदात्ता वी पी टी आर सी पी लगने व चालू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक फ्रंट लोडेड अनुदान तत्वों तथा इक्वेटेड वार्षिक अनुदान सहित आर्थिक अनुदान प्राप्त करेगा।
- फ्रंट लोडेड आर्थिक अनुदान उस तिमाही के अन्त में दिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (वी पी टी) लगा तथा चालू हुआ। इक्वेटिड वार्षिक आर्थिक अनुदान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून , 30 सितम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही के साथ चार त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।
- एक तिमाही में सात से अधिक दिन तक दोषयुक्त रहने वाले दूरभाषों की स्थिति में आर्थिक अनुदान में यथानुपात कटौती। यदि एक तिमाही में आर्थिक अनुदान में यथानुपात कटौती। यदि एक तिमाही में ग्रामीण दूरभाष(वी.पी.टी) ग्रामीण

सामुदायिक दूरभाष 45 दिन से अधिक की अवधि तक खराब रहते हैं, तो उस पूरी तिमाही के लिए कोई भी आर्थिक अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

- जिन ग्रामीण दूरभाषों / ग्रामीण सामुदायिक दूरभाषों पर पूरी तिमाही के दौरान कोई भी मीटर रीडिंग / काल दर्ज नहीं होगी या भुगतान न करने की वजह से काटे जाएंगे, उन्हें उस तिमाही में आर्थिक अनुदान के योग्य नहीं माना जाएगा।
- रोल आऊट दायित्व –कम से कम 20% ग्रामीण सामुदायिक दूरभाष दूसरे वर्ष के अंत तक लगाए जाएंगे।शेष करार की प्रभावी तिथि से तीसरे वर्ष के अन्त तक प्रदान किए जाएगे।
- क्रमशः दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत तक ग्रामीण दूरभाषों / ग्रामीण सामुदायिक दूरभाषों की निश्चित संख्या प्रदान करने में आई कमियों के लिए ऐसे वी.पी.टी / आर सी पी के लिए देय फ्रंट लोडेड सब्सिडी के 5% की दर से अधिकतम 10% तक निर्धारित हानिपूर्ति प्रत्येक कैलेंडर मास या इसके कुछ भाग के लिए वसूल कर ली जाएगी, जब तक कि इस देरी के बिल को माफ न कर दिया जाए।
- सार्वभौमिक सेवा प्रदाता को सेवा क्षेत्र के उन सभी एस एस ए के 2% वी पी टी / आर सी पी के लिए जिनके लिए करार किया गया हैं, करार के अन्तर्गत चुकाए गए फ्रंट लोडेड सब्सिडी के बराबर 1 वर्ष के लिए निष्पादित बैंक प्रतिभूति जमा करानी होगी।
- दूसरे वर्ष के आरम्भ से निष्पादित बैंक गारंटी की राशि करार के अन्तर्गत आने वाले सेवा क्षेत्र के सभी एस एस ए में लगे 60% वी पी टी / आर सी पी के लिए करार के अन्तर्गत वितरित फ्रंट लोडेड सब्सिडी के बराबर होगी। चौथे वर्ष के आरम्भ या करार के अन्तर्गत आने वाले सेवा क्षेत्र के सभी एस एस ए में लगाए गए सभी वी पी टी / आर सी पी द्वारा रोल आउट दायित्व पूरा होने पर, जो भी बाद में होगा, पी बी जी राशि मूल राशि जितनी कर दी जाएगी। जब तक भ.स.नि.लि. 100% सरकार शासित निगम हैं तब तक उसे पी बी जी जमा न कराने की छूट दी गई हैं। वर्तमान में पी.बी.जी का रखरखाव यू.एस.एफ मुख्यालय द्वारा किया जा रहा हैं।

डी. ग्रामीण दूरभाषों के प्रावधान के लिए करार की प्रमुख विशेषताएं (01.04.02 से पहले लगाए गए)

- भारत संचार निगम लिमिटेड को विनिर्दिष्ट सेवा व शर्तो पर 01-04-02 से पहले लगाए गए ग्रामीण घरेलू सीधी दूरभाष लाइन के लिए सहायता प्रदान की गई हैं। किसी भी अन्य प्राइवेट बेसिक सर्विस आपरेटर ने कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया।

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की अनुदान सहायता की अवधि 1.4.02 से 31.01.04 तक है।
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व से अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र केवल वे ही ग्रामीण घरेलू दूरभाष होंगे जो कि वायरलेस इन लोकल लूप तकनीक (फिक्सड)सहित, फिक्सड लाइन दूरभाष सेवा पर लगे हुए हैं। सार्वजनिक दूरभाष (पी सी ओ/वी पी टी) व डब्ल्यू एल एल (मोबाइल) तथा अन्य मोबाइल सेवाएं सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से अनुदान समर्थन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
- प्रत्येक ग्रामीण घरेलू दूरभाष के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त अनुदान राशि ट्राई द्वारा निर्धारित मासिक किराए तथा सेवा किराए तथा सेवा प्रदाता द्वारा वसूल किए गए मासिक किराए के अन्तर के समान होगी।
- जो ग्रामीण घरेलू दूरभाष 01.04.02 से 31.01.04 तक या तो सरेंडर करने के कारण या उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण स्थायी रुप से बन्द हो चुके हैं, वे 01.04.02 से लेकर बन्द होने वाले माह से पहले वाले माह तक के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त अनुदान राशि दो किश्तों में वितरित की जाएगी , एक वित्त वर्ष 2002-03 के लिए तथा दूसरी किश्त 01.04.03 से 31.01.04 तक के लिए।

- दावा प्रस्तुत करने के लिए सूचना का स्रोत बिलिंग रिकार्ड हैं।

ई. ग्रामीण घरेलू दूरभाषों के प्रावधान के लिए करार की मुख्य विशेषताँए (01.04.05 से 31.03.07 के दौरान लगाए गए)

- ग्रामीण घरेलू सीधी दूरभाष लाइन विर्निदिष्ट कम दूरी वाले प्रभार क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी।
- प्रदान की जाने वाली सहायता में फ्रंट लोडेड अनुदान तथा इक्वेटिड वार्षिक अनुदान सम्मिलित होगा जो कि सात वर्ष की अवधि पर वार्षिक पूंजी वापसी में से ग्राहक प्रिमिसेज टर्मिनल उपकरण के प्रावधान, जिसमें लोकल लूप भी सम्मिलित हैं, के संचालन एवं रख रखाव पर हुए वार्षिक व्यय को कम करके वार्षिक राजस्व के आधार पर दिया जाएगा । इस करार की प्रभावी तिथि के पश्चात लगाए गए ग्रामीण घरेलू टेलीफोन, जिस स्थिर वायर लाइन, लैंडलाइन तथा वायरलेस इन लोकल लूप तकनीक के हैं, वही यू.एस.ओ फंड से अनुदान पाने के लिए पात्र होगें। इस करार के अधीन सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल सेवाएं यू.एस.ओ फंड से समर्थन अनुदान पाने के लिए पात्र नहीं होगें।

- करार 01.04.05 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- सार्वभौमिक सेवा प्रदाता 31.03.07 तक लगाए गए ग्रामीण घरेलू दूरभाषों के लिए अनुदान प्राप्त करेगा।
- जहाँ इक्वेटिड वार्षिक अनुदान देय हैं, वहाँ यह ग्रामीण घरेलू दूरभाष लगाए जाने तथा चालू होने की तिथि से लेकर करार की वैद्धता अवधि तक प्रदान किया जाएगा।
- फ्रंट लोडेड सब्सिडी केवल तभी प्रदान की जाएगी जबकि एक्सचेंज क्षेत्र में ग्रामीण दूरभाषों की संख्या में वास्तविक वृद्धि होगी। वास्तविक वृद्धि से तात्पर्य हैं कि वह वृद्धि जो दूरभाष सरेंडर करने, भुगतान न होने या स्थानीय एक्सचेंज क्षेत्र से स्थानांतरित होने के कारण पूर्ण रुप से बन्द होने वाले ग्रामीण घरेलू दूरभाषों के समायोजन के पश्चात ग्रामीण घरेलू दूरभाषो की संख्या में हुई है।
- जिस तिमाही में ग्रामीण घरेलू दूरभाष लगाए गए तथा चालू हुए हैं उसके अन्त तक फ्रंट लोडेड सब्सिडी के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाता अपना दावा प्रस्तुत करने के योग्य होंगे। जहाँ इक्वेटिड वार्षिक अनुदान देय हैं वहाँ यह 30 जून , 30 सितम्बर 31 दिसम्वर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के साथ चार त्रैमासिक किश्तों में वितरित की जाएगी।
- एक तिमाही के दौरान सात से अधिक दिन तक दोषयुक्त रहने वाले दूरभाषों के संदर्भ में इक्विटिड वार्षिक अनुदान में यथानुपात कटौती की जाएगी। एक तिमाही के दौरान दुरभाष 45 या अधिक समय तक दोषयूक्त रहने की स्थिती में, पूरी तिमाही के लिए कोई भी अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा।
- जहाँ पर इक्विटेड वार्षिक अनुदान की प्रतिनिधि दर शून्य हैं, वहाँ पर दोषों के संदर्भ में कटौती के उद्देश्य से इक्विटेड वार्षिक अनुदान की दर के रुप में 250 रुपए लिए जाएँगे।
- प्रारम्भ में निष्पादित बैंक प्रतिभूति की 50 लाख रु. की राशि संबधित पत्र की प्राप्ती से 7 दिन के भीतर जमा करानी होगी।
- करार के दूसरे व तीसरे वर्ष के लिए निष्पादित बैक प्रतिभूति की राशि पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किए गए फ्रंट लोडेड सब्सिडी की 25% या 50 लाख रुपये जो भी अधिक हो, के समान होगी। चौथे वर्ष से करार की वैधता अवधि तक निष्पादित बैंक प्रतिभूति की राशि 50 लाख रुपये होगी।
- जब तक भारत संचार निगम लिमिटेड 100% सरकार शासित निगम है तब तक इसे निष्पादित बैंक प्रतिभूति जमा कराने में छूट दे दी गई है।
- **रोल आउट** -*रोल आउट बनायी जाने वाली प्रतीक्षा सूची के आधार पर जिस सेवा क्षेत्र के लिए करार हस्ताक्षरित किया गया हैं. उस सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने*

वाले प्रत्येक एस.एस.ए में करार की प्रभावी तिथि से 6 माह के भीतर कम से कम 100 ग्रामीण घरेलू दूरभाष प्रदान किए जाने चाहिए। करार की प्रभावी तिथि के 6 माह के बाद प्रतीक्षा सूची के सभी उपभोक्ताओं को पंजीकरण के तीन माह के भीतर ग्रामीण घरेलू दूरभाष प्रदान कर दिए जाएगें।

- यदी रोल आउट आवश्यकतानुसार ग्रामीण घरेलू दूरभाष प्रदान न किए गये हों तो प्रशासक की लिखित सलाह के बिना प्रदान कराए जांए। देरी होने की स्थिति में इक्विटेड डेमेंज की वसूली कर ली जाएगी।

01.04.2002 से 31.03.2005 तक लगाए जाने वाले ग्रामीण घरेलू दूरभाषों के लिए निम्न के अतिरिक्त सभी शर्ते व नियम समान रहेंगे।

1) रोल आउट दायित्व करार का हिस्सा नहीं होंगे

2) ग्रामीण घरेलू दूरभाष लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष तक की सहायता अवधि रहेगी।

3) पहले से बीत चुकी अवधि के लिए तिमाही दावे एक साथ जमा कराए जा सकते हैं।